न्यायालयः जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

सिविल अपील संख्या –31/2024
कंप्यूटर रजि०सं०–31/2024
(CNR No UPGZ010086582023)

मोहित शर्मा उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी मकान नं. ए–23 ए–ब्लॉक राजीव नगर बेगमपुर नार्थ वेस्ट दिल्ली 110086

... ... अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, गाजियाबाद।

विविध वाद संख्या– 3914/2022
सरकार बनाम मोहित शर्मा
धारा– 72 उ०प्र० आबकारी अधिनियम 1910
थाना–साहिबाबाद, गाजियाबाद।

दि० 21.04.2026

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल अपील विद्वान अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) गाजियाबाद द्वारा वाद संख्या 3914/2022 सरकार बनाम मोहित शर्मा अन्तर्गत धारा 72 उ०प्र० आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांकित 17.02.2023 के विरूद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.08.2022 की पुष्टि करते हुए वाहन कार सेलेरियो रजिस्ट्रेशन संख्या DL 11 CC 1966 को आबकारी अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है तथा आदेश में यह भी उल्लिखित है कि यदि उपरोक्त वाहन को किसी न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी के पक्ष में रिलीज किया जा चुका है तो वह विपक्षी/वाहन स्वामी को निर्देशित करे कि वह वाहन को थाना हाजा पर दाखिल करें तथा प्रश्नगत वाहन स्वामी को यह भी विकल्प दिया गया है कि प्रश्नगत वाहन का नियमानुसार मूल्यांकन कराये। यदि वाहन स्वामी मूल्यांकन धनराशि को जमाकर वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहता है तो वाहन स्वामी से वाहन की कीमत क्रिमिनल हैड में जमा कराकर वाहन को वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जाये। अन्यथा वाहन को नीलाम कर प्राप्त धनराशि को क्रिमिनल हैड में जमा करायी जाए।

वाद के तथ्य

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा त्रिभुवन सिंह हयांकी ने दिनांक 03.07.2022 को थाना साहिबाबाद पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि दिनांक 03.07.2022 को आबकारी निरीक्षक सेक्टर–2 त्रिभुवन सिंह हयांकी मय हमराहीयान के अवैध शराब की रोकथाम हेतु ट्रांसपोट नगर सीमा चौकी के पास भ्रमणशील थे। तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि दिल्ली की ओर से एक व्यक्ति मोटर कार के अन्दर अवैध शराब ला रहा है। सूचना पर विश्वास करके सघनता से ट्रांसपोर्ट नगर सीमा चौकी के पास

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.04.22 16:14:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे। कुछ समय पश्चात ही दिल्ली की ओर से एक ग्रे कलर की मोटर कार को आता देखकर मुखबिर ने इशारा किया। पुलिस वालों ने हाथ का इशारा करके मोटर कार नम्बर DL 11CC 1966 को चला रहे व्यक्ति से रूकवाया। कार की ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट पर एक गत्ते का बडा सा बॉक्स रखा है जिसको खुलवाकर चेक किया गया तो उसमें 24 कैन बीयर किंगफिशर स्ट्राँग (500 एम.एल.) बरामद हुई। पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मोहित शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद बताया। प्रत्येक बीयर पर फार सेल दिल्ली लिखा हुआ है। उक्त व्यक्ति से बरामद बीयर के बारे में पूछा गया तो बताया कि दिल्ली में बीयर व शराब सस्ती मिल रही है इसलिये वह दिल्ली से बीयर खरीद कर ला रहा था। दौरान बरामदगी व गिरफ्तारी के समय जनता के लोगों से गवाही के लिए गया लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। बरामद बीयर में से दो कैन बीयर का बतौर नमूना निकालकर एक कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया। शेष 22 बीयर की कैनों को प्लास्टिक के कटटे में रखकर मौके पर सील सर्वे मोहर किया गया।

3. उक्त बरामदगी के आधार पर थाना साहिबाबाद, जिला–गाजियाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 1013/2022 बनाम मोहित शर्मा धारा 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम दर्ज हुआ।

अपील आधार

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क एवं अपील आधार में कहा गया है कि अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 17.02.2023 पारित करने में विधिक त्रुटि की है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.02.2023 अपीलार्थी की आपत्ति को ध्यान में न रखकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को न्यायालय अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद द्वारा नोटिस भेजा गया था जिस पर अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर अपनी आपत्ति दाखिल की गयी थी। अपीलार्थी नौकरी पेशा व टैक्स पेयर व्यक्ति है तथा कानून का पालन करता है। अपीलार्थी के वाहन कार सेलेरियो रजि० संख्या डी एल 11 सी सी 1966 को मुकदमा अपराध संख्या 1013/2022 धारा 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम थाना साहिबाबाद में निरूद्ध किया गया है, जबकि न तो अपीलार्थी द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है और न ही अपीलार्थी के उक्त वाहन द्वारा कथित अपराध किया गया है। अपीलार्थी कथित घटना के समय अपने उक्त वाहन से आ रहा था, तभी रास्ते में पुलिस ने चैकिंग के दौरान अपीलार्थी को रोक लिया और अपीलार्थी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी जिसमें पुलिस ने अपीलार्थी से अवैध धनराशि की मांग की। अपीलार्थी के द्वारा मांग पूरी न करने के कारण पुलिस ने कथित बीयर अपने पास से झूठी व फर्जी रूपसे लगा दी है। अपीलार्थी द्वारा कोई अपराध कारित ही नही किया गया है। निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान न्यायालय अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 17.02.2023 को निरस्त किया जाए तथा अपीलार्थी के प्रश्नगत वाहन को उसकी सुपुर्दगी से न लिये जाने के आदेश पारित किये जावें।

5. विपक्षी/उत्तरदाता की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए कहा गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त मोहित शर्मा को चैकिंग के दौरान मय वाहन कार सेलेरियो संख्या डी.एल. 11 सी सी 1966 गिरफ्तार किया गया तथा गाडी कार की ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट पर एक गत्ते का बडा सा बॉक्स रखा है जिसको खुलवाकर चेक किया गया तो उसमें 24 कैन बीयर किंगफिशर स्ट्राँग (500 एम.एल.) बरामद हुई। अपीलार्थी ने अपराध कारित किया है जिसके

पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद हैं। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी के वाहन को धारा 72 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है। यह भी कहा गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लिखित किया है कि यदि वाहन स्वामी चाहे तो निर्धारित धनराशि को क्रिमिनल हैड में जमा कराकर अपने वाहन को अपनी सुपुर्दगी में ले सकता है। निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की अपील सव्यय निरस्त की जाए।

6.. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल के विस्तृत तर्कों को सुना । आक्षेपित आदेश व मूल पत्रावली का सम्यक रूपसे परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

7. अभियोजन के अनुसार दिनांक 03.07.2022 को आबकारी निरीक्षक सेक्टर–2 त्रिभुवन सिंह हयांकी मय हमराहीयान अवैध शराब की रोकथाम हेतु ट्रांसपोर्ट नगर सीमा चौकी के पास भ्रमण कर रहे थे तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि दिल्ली की ओर से एक व्यक्ति मोटर कार के अन्दर अवैध शराब ला रहा है। सूचना पर विश्वास करके दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे। कुछ समय पश्चात दिल्ली की ओर से आ रही कार नम्बर DL 11CC 1966 को रूकवाया। मोटर कार की ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट पर एक गत्ते का बडा सा बॉक्स रखा है जिसको खुलवाकर चेक किया गया तो उसमें 24 कैन बीयर किंगफिशर स्ट्राँग (500 एम.एल.) बरामद हुई। पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मोहित शर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद बताया। प्रत्येक बीयर पर फार सेल दिल्ली लिखा हुआ है। उक्त व्यक्ति से बरामद बीयर के बारे में पूछा गया तो बताया कि दिल्ली में बीयर व शराब सस्ती मिल रही है इसलिये वह दिल्ली से बीयर खरीद कर ला रहा था। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना साहिबाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 1013/2022 बनाम मोहित शर्मा धारा 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम दर्ज हुआ। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिया गया तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08.08.2022 की पुष्टि करते हुए वाहन कार सेलेरियो संख्या DL 11CC 1966 को धारा 72 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया। प्रश्नगत वाहन स्वामी को यह भी विकल्प दिया गया है कि प्रश्नगत वाहन का नियमानुसार मूल्यांकन कराये। यदि वाहन स्वामी मूल्यांकन धनराशि को जमाकर वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहता है तो वाहन स्वामी से वाहन की कीमत क्रिमिनल हैड में जमा कराकर वाहन को वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जाये। अन्यथा वाहन को नीलाम कर प्राप्त धनराशि को क्रिमिनल हैड में जमा करायी जाए।

8. अवर न्यायालय की मूल पत्रावली व आक्षेपित आदेश का सम्यक अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से अपील में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। अपीलार्थी की पुलिस से कहासुनी होने के कारण अपीलार्थी से अवैध धनराशि की मांग की गयी, अपीलार्थी द्वारा अवैध धनराशि की मांग पूरी न करने के कारण अपीलार्थी को झूठा फंसाया है तथा पुलिस ने कथित बरामद बीयर अपने पास से लगायी है। अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाहन को अपीलार्थी के पक्ष में रिलीज किया जा चुका है। बरामदगी के अनुसार पुलिस द्वारा दिनांक 03.07.2022 को अपीलार्थी के वाहन कार सेलेरियो संख्या डी एल 11 सी सी 1966 को अवैध शराब के परिवहन में पकडा गया है। वाहन स्वामी मोहित शर्मा को दिनांक 08.08.2022 को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिस पर वाहन स्वामी/ अपीलार्थी द्वारा आपत्ति दाखिल

की गयी। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08.08.2022 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी के वाहन को अवैध शराब के परिवहन में संलिप्त पाये जाने पर राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया तथा अपीलार्थी को यह विकल्प प्रदान किया है कि प्रश्नगत वाहन का नियमानुसार मूल्यांकन कराये। यदि वाहन स्वामी मूल्यांकन धनराशि को जमाकर वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहता है तो वाहन स्वामी से वाहन की कीमत क्रिमिनल हैड में जमा कराकर वाहन को वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जाये अथवा वाहन को नीलाम कर प्राप्त धनराशि को क्रिमिनल हैड में जमा कर चालान की मूल प्रति अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपलब्ध कराये। विपक्षी/जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Writ–C 9234/2023 (at Lucknow) Vikram Kumar Singh Vs. State of U.P. through Additional Chief Secretary Excise , Lucknow and two others** में पारित विधि व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें यह दृष्टांन्त प्रतिपादित किया है कि प्रश्नगत/जब्त वाहन का मूल्यांकन निर्धारित कराये जाने के उपरान्त यदि वाहन स्वामी धनराशि को क्रिमिनल हैड में जमा कराकर वाहन को अवमुक्त कराना चाहता है तो सर्वप्रथम वाहन स्वामी को एक अवसर प्रदान किया जाएगा। विद्वान अवर न्यायालय/अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) गाजियाबाद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के अवलोकन से विदित है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी को यह अवसर प्रदान किया गया है कि यदि वाहन स्वामी अपने वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहता है तो वह वाहन की कीमत क्रिमिनल हैड में जमा कराकर वाहन को अपनी सुपुर्दगी में ले सकता है।

9. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है एवं आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त होने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश पुष्ट होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत सिविल अपील निरस्त की जाती है। विद्वान अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) गाजियाबाद द्वारा वाद संख्या 3914/2022 उ०प्र० सरकार बनाम मोहित शर्मा में पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांकित 17.02.2023 पुष्ट किया जाता है।

अवर न्यायालय का मूल अभिलेख अविलम्ब प्रतिप्रेषित किया जाए।

(विनोद सिंह रावत)
जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 21.04.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(विनोद सिंह रावत)
जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 21.04.2026